न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 456 सन 2018

अनवान :–

1. मांगीलाल पुत्र रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. रामेश्वरलाल पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर
2. जयप्रकाश पुत्र रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री मागेराम गोदारा अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 17/01/2019

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद में पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा चक 20 एनटीआर के खाता संख्या 85/83 की कुल 2.530हैक , खाता संख्या 4/3 की कुल 1.518हैक , खाता संख्या 50/39 की कुल 1.518हैक , खाता संख्या 99/65 की कुल 1.2650हैक खाता संख्याा 13/6 की कुल 1.265हैक , खाता संख्या 84/68 की 0.430हैक भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी का वाद पेश होने पर प्रतिवादी संख्या 1 स्वय उपस्थित होकर लोक भावना से प्रेरित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 का हक हिस्सा है इसलिये वाद भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम बहिब दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व राजीनामा शामिल मिसल किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है इसलिये पैतृक सम्पति है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 का बराबर का हक हिस्सा जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने स्वीकार किया जाकर राजीनामा पेश किया जा चुका है इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 20 एनटीआर के खाता संख्या 85/83 की कुल 2.530हैक , खाता संख्या 4/3 की कुल 1.518हैक , खाता संख्या 50/39 की कुल 1.518हैक , खाता संख्या 99/65 की कुल 1.2650हैक खाता संख्याा 13/6 की कुल 1.265हैक , खाता संख्या 84/68 की 0.430हैक भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 तीनों बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 17/01/2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web copy - Not Official